फा. सं. के-11011/30/2023-सीबी-भाग(1)
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
****

29 मई, 2024 को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की चौथी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की चौथी बैठक 29 मई, 2024 को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-क में दी गई है।

2. पंचायती राज मंत्रालय के सचिव/सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्य के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, संयुक्त सचिव (सीबी), पंचायती राज मंत्रालय/सदस्य सचिव ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडे की शुरुआत की।

3. राज्य का एजेंडा:

3.1 सीईसी ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया। पंचायतों को मजबूत करने और योजना के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सामान्य टिप्पणियां, जैसा कि सचिव, एमओपीआर/सीईसी के अध्यक्ष द्वारा दूसरी सीईसी बैठक में उल्लेख किया गया था, एमओपीआर के संयुक्त सचिव (सीबी) द्वारा दोहराई गईं, जो इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई नवीन पहलों को अपनाने की सलाह दी गई।

ii. कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय राज्यों

को कार्यात्मक साक्षरता को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।

iii. महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करते हुए राज्य पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अन्य विभागों की उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करेगा।

iv. पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। प्रशिक्षण के नियमित मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

v. राज्यों को अपने आम आदमी पार्टी में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण जैसे खरीद मानदंड, बजट और लेखा, कानूनी प्रावधानों पर प्रशिक्षण आदि शामिल करना चाहिए ताकि "सरपंच पति" की संस्कृति की जांच की जा सके।

vi. पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय/प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और संकाय विकास के मूल्यांकन के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा अपनाई गई पद्धति को अन्य राज्यों में भी उपयुक्त रूप से लागू करने की संभावना तलाशी जा सकती है।

vii. वर्तमान में प्रशिक्षण का फोकस ग्राम पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों पर है। ब्लॉक और जिला पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तदनुसार, ब्लॉक और जिला पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

viii. राज्य सरकार प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रशिक्षकों की फीडबैक और ग्रेडिंग के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करेगी।

ix. राज्य को जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) और ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। 2024-25 के दौरान 100%

डीपीआरसी और कम से कम 50% बीपीआरसी को कार्यात्मक बनाया जाएगा।

x. राज्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध धनराशि के समय पर उपयोग के लिए रणनीति तैयार करनी होगी।

xi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे कर्नाटक परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल को अपनाने के लिए उसका परीक्षण करें।

xii. मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्यों को प्रशिक्षण प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए अन्य राज्य विभागों के साथ समन्वय करने की सलाह दी।

xiii. प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन सत्र से शुरू होकर समापन सत्र के साथ होना चाहिए। इसमें स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

xiv. यह देखा गया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर या बाहर एक्सपोजर विजिट आरजीएसए का बहुत महत्वपूर्ण घटक है और एक्सपोजर विजिट के लिए प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया तथा इन विजिट की योजना संरचित तरीके से बनाई जानी चाहिए। विजिट के दौरान अच्छे अभ्यासों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, फील्ड विजिट की जानी चाहिए तथा सीखे गए सबक पर प्रतिभागियों से फीडबैक लिया जाना चाहिए तथा अपनी पंचायतों में इसे दोहराने की संभावनाओं और रणनीति के बारे में भी पूछा जाना चाहिए। योजना में प्रावधान के अनुसार ऐसे विजिट में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया।

3.2 अरुणाचल प्रदेश: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

अरुणाचल प्रदेश ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 252.13 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 131.52 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

3.2.1 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ:राज्य ने 550 प्रतिभागियों (राज्य के भीतर) और 210 प्रतिभागियों (राज्य के बाहर) की एक्सपोजर विजिट का प्रस्ताव रखा। समिति ने क्रॉस लर्निंग के लिए एक्सपोजर विजिट के लिए प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी।

3.2.2 ग्राम पंचायत भवन:

(क) **पीबी कंस्ट्रक्शन (आगे ले जाना)**राज्य ने 261 पीबी के निर्माण का प्रस्ताव रखा (224 इकाइयां @ 20.00 लाख प्रत्येक और 37 इकाइयां @ 10.00 लाख प्रत्येक)। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसे आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया।

(ख) **पीबी कंस्ट्रक्शन (नया):**राज्य ने 80.00 करोड़ रुपये की लागत से 400 नए ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, बशर्ते कि राज्य काम शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करेगा और फिर काम को क्रियान्वित करने के लिए बजट सारांश में वृद्धि प्राप्त करने के लिए एमओपीआर से संपर्क करेगा। सीईसी ने समिति के अध्यक्ष को राज्य से प्राप्त होने पर ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए भी अधिकृत किया।

(ग) **सीएससी सह-स्थान (कैरी ओवर)**राज्य ने 261 सीएससी को कैरी ओवर के रूप में प्रस्तावित किया (224 इकाइयां @ 5.00 लाख प्रत्येक और 37 इकाइयां @ 2.50 लाख प्रत्येक)। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और कैरी ओवर के लिए प्रस्तावित के रूप में अनुमोदित किया।

(घ) **सीएससी सह-स्थान (नया)**राज्य ने 20.00 करोड़ रुपये की लागत से 400 नए सीएससी सह-स्थान का प्रस्ताव रखा। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, ताकि राज्य सीएससी सह-स्थान की स्थापना के लिए तैयारियां

शुरू कर सके। हालांकि, बजट शीट में संबंधित वृद्धि उस समय प्रभावी होगी जब राज्य नए पंचायत भवन के कार्य को निष्पादित करने के लिए बजट सारांश में वृद्धि के लिए एमओपीआर से संपर्क करेगा।

3.2.4. कंप्यूटर और सहायक उपकरण (कैरी ओवर): राज्य ने 1.00 करोड़ रुपये की लागत से 200 कम्प्यूटरों की खरीद तथा 2.00 करोड़ रुपये की लागत से 400 नये कम्प्यूटरों की खरीद का प्रस्ताव रखा। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा उसे मंजूरी दे दी।

3.2.4 XV वित्त आयोग निधि: समिति ने सुझाव दिया कि राज्य को धनराशि जारी करने के लिए लंबित वर्षों के लिए ऑनलाइन लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-I में दिया गया है।

3.3 असम: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

असम ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 225.48 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 209.015 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

3.3.1 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ:

1. **एक्सपोजर विजिट** राज्य ने 1000 प्रतिभागियों (राज्य के भीतर) और 500 प्रतिभागियों (राज्य के बाहर) के लिए एक्सपोजर विजिट का प्रस्ताव रखा। समिति ने क्रॉस लर्निंग के लिए एक्सपोजर विजिट के लिए प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी।
2. **सहायता प्रदान करना** राज्य ने 1.40 करोड़ रुपये की लागत से 700 ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव रखा। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और 1.05 करोड़ रुपये की लागत से

525 ग्राम पंचायतों (अर्थात 35 जिलों में से प्रत्येक में 15 ग्राम पंचायतें) को मंजूरी दी।

3.3.2 ग्राम पंचायत भवन:

1. **पीबी कंस्ट्रक्शन (कैरी ओवर)** राज्य ने 28.70 करोड़ रुपये की राशि के साथ 171 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। 2023-24 के दौरान, 34.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से राज्य द्वारा 5.50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया और शेष 28.70 करोड़ रुपये की राशि को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी।
2. **पीबी कंस्ट्रक्शन (नया):**राज्य ने 49.60 करोड़ रुपये की लागत से 248 नए ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और 35.60 करोड़ रुपये की लागत से 178 नए ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी।

3.3.3. कंप्यूटर और सहायक उपकरण (कैरी ओवर):

1. राज्य ने 5.00 करोड़ रुपये की लागत से 1000 नए कंप्यूटर खरीदने का प्रस्ताव रखा। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और कंप्यूटर विहीन सभी 687 ग्राम पंचायतों के लिए 3.435 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी।

असम राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-II में है।

3.4 मेघालय: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

मेघालय सरकार के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) की संरचनाओं, ग्राम रोजगार परिषदों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वर्षवार प्रगति और जमीनी स्तर पर प्रभावी कामकाज के लिए टीएलबी को मजबूत करने के लिए की गई अन्य पहलों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके अलावा, जिला परिषद मामलों के विभागों के

सचिव ने योजना तैयार करने सहित 15वें वित्त आयोग के अनुदान को जारी करने के लिए पूर्वापेक्षाओं के संबंध में की गई पर्याप्त प्रगति पर प्रकाश डाला; स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) द्वारा तैयार योजना को अपलोड करना; ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस मॉड्यूल पर ऑन-बोर्डिंग आदि। यह भी उल्लेख किया गया कि ऑडिट ऑनलाइन में ऑडिटरों की ऑन-बोर्डिंग पर पहले ही सीएजी के साथ चर्चा की जा चुकी है, और वे राज्य में 15वें वित्त आयोग के अनुदान का ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, राज्य जल्द से जल्द ऑडिट ऑनलाइन प्रशिक्षण का अनुरोध करेगा।

3.4.1 सीईसी को टीएलबी की क्षमता को मजबूत करने के लिए कार्यान्वित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की वर्षवार प्रगति और 2023-24 में राज्य द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में भी बताया गया। राज्य द्वारा यह बताया गया कि एडीसी के सदस्यों की क्षमता निर्माण और एडीसी के एक्सपोजर दौरे को भी वित्त वर्ष 2024-25 के एएपी में शामिल किया गया है, ताकि सुशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एडीसी की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।

3.4.2. समिति ने सुझाव दिया कि वार्षिक कार्य योजना में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रत्येक श्रेणी को प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से संतृप्त किया जाना चाहिए। यह भी सलाह दी गई कि भवनों का निर्माण सुगम क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 3 एडीसी को प्रत्येक एडीसी के लिए 5.00 लाख रुपये की लागत से हैंडहोल्डिंग सहायता शामिल करने पर भी सहमति हुई; आरजीएसए मानदंडों के अनुसार तीन एडीसी के लिए अन्य 3 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केंद्र का निर्माण। राज्य को राज्य के बाहर एक्सपोजर यात्राओं में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी गई।

3.4.3 मेघालय ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष

2024-25 के लिए 48.603 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की है।

अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 48.70 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

(क)**सहायतार्थ सहायता:**राज्य ने 3 एडीसी के लिए 5 लाख रुपये प्रति एडीसी की दर से सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। आईआईएम, शिलांग या कोई अन्य उत्कृष्टता संस्थान इस घटक में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नोडल संस्थान हो सकता है।

(ख) **डीपीआरसी का निर्माण:**राज्य ने ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स (ईडब्ल्यूकेएच) में आगे बढ़ाने के लिए 1 डीपीआरसी का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, सीईसी ने एडीसी में 3 और डीपीआरसी को शामिल करने का निर्देश दिया जो आरजीएसए मानदंडों के अनुसार एडीसी के लिए संसाधन केंद्र के रूप में भी काम करेगा।

मेघालय राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-III पर है।

3.5 नागालैंड: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

नागालैंड ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 98.33 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 45.37 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

i. पंचायती राज मंत्रालय के सचिव/सीईसी के अध्यक्ष ने योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। राज्य ने 2023-24 के लक्षित प्रशिक्षण के मुकाबले केवल 6% प्रशिक्षण ही पूरा किया है।

ii. **जीपीडीपी की तैयारी और अपलोडिंग**: यह भी पाया गया कि राज्य ने जीपीडीपी तैयार

नहीं की है और उसे ईग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। समिति के अध्यक्ष ने राज्य से एक महीने के भीतर जीपीडीपी प्रक्रिया पूरी करने को कहा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नागालैंड राज्य से जुड़े सलाहकार तुरंत राज्य का दौरा करें और जीपीडीपी की तैयारी से संबंधित मुद्दों की पहचान करें और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3.5.1 2023-24 के दौरान आरजीएसए के तहत राज्य के अपर्याप्त प्रदर्शन को देखते हुए, सीईसी ने निम्नलिखित घटकों के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

(क)**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**: 19517 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और सीबीएंडटी की अन्य गतिविधियों के लिए 7.15 करोड़ रुपये की राशि।

(ख) संस्थागत बुनियादी ढांचा (निर्माण):राज्य को पहले से स्वीकृत सभी निर्माण कार्य पूरा करने को कहा गया है। इसके बाद, इसमें हुई प्रगति के आधार पर सीईसी के निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

(ग) संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत):

(घ) एसपीआरसी आवर्तीराज्य ने एसपीआरसी के लिए 0.50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की। हालाँकि, नागालैंड में एसपीआरसी कार्यात्मक नहीं है, इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी गई। हालाँकि, यदि राज्य एसपीआरसी की स्थापना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वह इस मद के तहत आवंटन के लिए मंत्रालय से संपर्क कर सकता है।

(ङ) **डीपीआरसी आवर्ती** डी.पी.आर.सी. के लिए 0.80 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी।

(च) **पंचायत भवन का निर्माण** समिति ने 116 पीबी के निर्माण को मंजूरी दे दी है। हालांकि, 50 नए पीबी निर्माण के प्रस्ताव की समीक्षा राज्य द्वारा की गई प्रगति के

आधार पर की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि रु.

वर्ष 2023-24 के दौरान बाल एजेंसियों को 3.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन तकनीकी मुद्दों के कारण वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। राज्य को आवश्यक सुधार करने की सलाह दी गई।

(छ) **ई-सक्षमीकरण (कंप्यूटरों की खरीद)** 345 कम्प्यूटरों (अर्थात 151 नये और 194 पुराने) की खरीद के लिए 1.725 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई, जिस पर समिति ने विचार किया और उसे मंजूरी दे दी।

(ज) **कार्यक्रम प्रबंधन इकाई**एसपीएमयू, डीपीएमयू और बीपीएमयू के लिए 5.448 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(**झ**) **नवीन परियोजनाएं:**

(ञ) राज्य ने कैरीओवर गतिविधि के रूप में "किफिरे जिले के सितिमी ब्लॉक के अंतर्गत यानजीटोंग गांव में सामुदायिक संसाधन केंद्र की स्थापना" पर एक अभिनव परियोजना का प्रस्ताव रखा। (0.50 करोड़ रुपये)।

(ट) राज्य ने कैरीओवर गतिविधि के रूप में "फेक जिले के किकरुमा ब्लॉक के अंतर्गत थिपुजु गांव (चोकरीबा/रिहुबा) में ग्रामीण संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) की स्थापना" पर एक आर्थिक विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा। (0.92 करोड़ रुपये)

(ठ) इन दोनों परियोजनाओं को समिति द्वारा 2 जनवरी 2023 को नवाचार सहायता श्रेणियों के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। हालाँकि, राज्य निधियों की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सका। राज्य ने बताया कि दोनों परियोजनाएँ शुरू हो गई हैं और भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत की गई है।

(ड) यह निर्णय लिया गया कि इस स्तर पर अन्य नई आर्थिक विकास परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

नागालैंड राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-IV में है।

3.6 त्रिपुरा: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

त्रिपुरा ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 56.653 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 43.818 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

3.6.1 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ:

1. **एक्सपोजर विजिट** राज्य ने 500 प्रतिभागियों (राज्य के बाहर) के लिए एक्सपोजर विजिट का प्रस्ताव रखा है। समिति ने क्रॉस लर्निंग के लिए एक्सपोजर विजिट के लिए प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी है।

3.6.2 संस्थागत बुनियादी ढांचा (निर्माण): 2 डी.पी.आर.सी. के लंबित निर्माण को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा 1.168 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई। 2023-24 के दौरान, 4.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। राज्य ने 2.832 करोड़ रुपये का उपयोग किया है और चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित 1.168 करोड़ रुपये की शेष राशि पर समिति ने विचार किया और उसे मंजूरी दी।

त्रिपुरा राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-V में है।

अनुबंध-I

अरुणाचल प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास का स्थानीयकरण लक्ष्य (एसडीजी)/ सेक्टर सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (15,810 प्रतिभागी)	5.91
Ii	विशेष प्रशिक्षण (100 प्रतिभागी)	0.05
Iii	कोई अन्य प्रशिक्षण (19,230 प्रतिभागी)	10.13
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**16.09**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
Ii	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.10
Iii	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास सामग्री	0.20
Iv	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
V	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (3 दिनों के लिए 550 प्रतिभागियों के लिए)	0.57
Vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (210 प्रतिभागियों के लिए 7 दिनों के लिए)	0.73
Vii	जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (211 जीपी)	0.42
Vii i	50 पी.एल.सी. के लिए पंचायत लर्निंग सेंटर (पी.एल.सी.) का विकास	3.50
Ix	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (250 प्रतिभागियों के लिए)	0.31
X	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (100@ रु. 7811) पांच दिनों के लिए)	0.39
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**6.43**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**22.52**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा (निर्माण)**	
I	डीपीआरसी का निर्माण (12 नए निर्माण)	24.00
Ii	डीपीआरसी के भवन का निर्माण और प्रावधान बुनियादी उपकरण (6 डीपीआरसी)	7.00
Iii	किराये के भवन में डीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (19 **इमारत)**	1.14
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग	**32.14**
4	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	

I	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
Ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (25 डीपीआरसी के लिए 20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष)	5.00
	संस्थागत बुनियादी ढाचे का उप-योग	**5.84**
5	**पंचायत बुनियादी ढाचे के लिए समर्थन**	
I	पंचायत भवन का निर्माण (261 आगे बढ़ाया गया)	48.50
Ii	पीबी के साथ सीएससी का सह-स्थान - (261 कैरी फॉरवर्ड)	12.12
	पचायत बुनियादी ढाचे की कुल संख्या	**60.62**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (25 डीपीएमयू)	2.70
	पीएमयू की कुल संख्या	**2.96**
7	**पंचायतों का ई-सक्षमीकरण**	
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (400 यूनिट नया)	2.00
Ii	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (कैरी ओवर) (200 यूनिट)	1.00
	पंचायतों की ई-सक्षमता की कुल संख्या	**3.00**
	उप-योग (क्रमांक 1 से 7)	**127.08**
8	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	**2.54**
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**1.90**
	कुल योजना का आकार	**131.52**

अनुबंध- II

असम राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
I	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रवेश प्रशिक्षण (26784 प्रतिभागी)	21.58
Ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (20542 प्रतिभागी)	4.65
Iii	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (57300 प्रतिभागी)	26.68
Iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (43298 प्रतिभागी)	20.16
V	कोई अन्य प्रशिक्षण (42150 प्रतिभागी)	12.43
Vi	वर्चुअल प्रशिक्षण (26784 प्रतिभागी)	0.46
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**85.96**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I	जीपीडीपी निर्माण के लिए अकादमिक स्तर पर सहयोग संस्थाएं (प्रत्येक 35 जिले में 15 ग्राम पंचायतें (15x35)) अर्थात 525	1.05
Ii	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (1000 प्रतिभागी)	1.05
Iii	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (500 प्रतिभागी)	1.75
Iv	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (14 पी.एल.सी.)	0.98
V	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
Vi	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (54 प्रतिभागी)	0.06
Vii	पंचायती राज संस्थाओं के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (50 प्रतिभागी@10,000, 5 दिन के लिए)	0.25
	सीबीएंडटी का उप-योग	**5.24**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**91.20**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
I	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
Ii	डीपीआरसी भवन निर्माण का प्रावधान (12 डीपीआरसी कैरीओवर 2023-24)	20.00
Iii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (23 डीपीआरसी)	4.59
Iv	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (5 बीपीआरसी)	0.18
V	बीपीआरसी आवर्ती लागत (12 महीने के लिए 5 बीपीआरसी)	0.21
	कुल लागत संस्थागत बुनियादी ढांचा	**25.82**
4	**पंचायत भवन के लिए समर्थन**	
I	पंचायत भवन का निर्माण(178 नये)	35.60
Ii	पंचायत भवन का निर्माण (171 कैरी ओवर)	28.70
	उप-योग पंचायत भवन	**64.30**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइ (1 एसपीएमयू)	0.26
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइ (35 डीपीएमयू)	3.57

Iii	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (291 BPMU)	10.51
	पीएमयू की कुल संख्या	**14.34**
6	**सैटकॉम या आईपी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
	प्रौद्योगिकी आदि	
I	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति (1 स्टूडियो16 एसआईटी)	1.36
	दूरस्थ शिक्षा की कुल संख्या	**1.36**
7	***ई-पंचायतों को सक्षम बनाना***	
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (687 जीपी)	3.435
	ई-सक्षमता की कुल संख्या	**3.435**
8	**आय विकास एवं आय के लिए परियोजना-आधारित वृद्धि**	
I	विकास के लिए नवीन परियोजनाओं के रूप में आर्थिक गतिविधियाँ लुप्त पारंपरिक परिधानों का हथकरघा क्लस्टर (2023-24 से आगे की गतिविधि)	1.5
	कुल आर्थिक विकास	**1.5**
	1 से 8 तक का उप योग	**201.955**
9.	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	4.03
10.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	3.03
	कुल योजना का आकार	**209.015**

अनुबंध-III

मेघालय राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि **करोड़ रुपए में)**

क्रम. सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि**
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
I	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रवेश प्रशिक्षण (600 प्रतिभागी)	0.09
Ii	ईआर के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (3000 प्रतिभागी)	0.30
Iii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (13732 प्रतिभागी)	1.45
Iv	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (54488 प्रतिभागी)	5.75
V	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (3972 प्रतिभागी)	1.59
Vi	कोइ अन्य प्रशिक्षण (6706 प्रतिभागी)	0.715
	सीबीएंडटी का कुल योग	**9.895**
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I	प्रशिक्षण मॉड्यूल	0.10
Ii	प्रशिक्षण सामग्री	0.20
Iii	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (5 दिनों के लिए 200 प्रतिभागी)	0.35
Vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (5 दिनों के लिए 300 प्रतिभागी)	0.75
Vii	हैंड होल्डिंग सहायता के लिए जीपीडीपी सूत्रीकरणद्वारा अकादमिक संस्थाएं (3 एडीसी) @ 5.00 लाख प्रत्येक	0.15
Viii	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास (9 पीएलसी)	0.63
Ix	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (20 एमटी)	0.01
X	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम' के लिए पंचायती राज संस्थाओं(एमडीपी) (5 दिनों के लिए 200 प्रतिभागी @7811)	0.58
	सीबी&टीअन्य गतिविधियों का योग	**2.77**
3.	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
I	किराए के भवन में एसपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान (रु.30/-) *प्रति वर्गफुट (1 इकाई)*	0.09
Ii	डीपीआरसी भवन निर्माण का प्रावधान (2023-24 की 1 इकाई सीओ) और एडीसी में 3 नए	8.00
Iii	किराये के भवन में डीपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान (2डीपीआरसी)	0.12
Iv	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.01
V	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (9 बीपीआरसी)	0.32
Vi	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.07

	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**8.61**
4.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
I	एसपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी)	0.84
Ii	डीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (12 डीपीआरसी)	2.38
Iii	बीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (55 बीपीआरसी)	2.23
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का कुल योग (आवर्ती)	**5.45**
5.	**पंचायत भवन के लिए समर्थन**	
i	पंचायत भवन का निर्माण (24 आगे बढ़ाया गया)	4.80
Ii	पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थान (92 कैरी फॉरवर्ड)	4.60
	जीपी भवन की कुल संख्या	**9.40**
6.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.18
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (12 डीपीएमयू)	0.77
Iii	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (55 बीपीएमयू)	1.60
	पीएमयू की कुल संख्या	**2.55**
7.	**ई-पंचायतों को सक्षम बनाना**	
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) 1677 कैरी आगे	8.38
	ई-सक्षमता की कुल संख्या	**8.38**
	उप कुल	**47.055**
8.	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	0.94
9.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.71
	कुल योजना का आकार	**48.70**

अनुबंध IV

नागालैंड राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
Ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (10957प्रतिभागी)	2.950
Iii	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (4569 प्रतिभागी)	1.384
Iv	कोइे अन्य प्रशिक्षण (3991प्रतिभागी)	1.729
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**6.063**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I	हाथ थामना सहायता के लिए जीपीडीपी सूत्रीकरण द्वारा अकादमिकसंस्थान (प्रति जीपी/वर्ष 20,000/- रुपये तक) (50 जीपी)	0.10
Ii	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (4 दिनों के लिए 33 प्रतिभागियों के लिए)	0.0462
Iii	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (33 प्रतिभागियों के लिए 7 दिनों के लिए)	0.115
Iv	पंचायत लर्निंग सेंटर (11पीएलसी) का विकास (करोड़ रुपये तक)। 7,00,000/- प्रत्येक पी.एल.सी. के लिए) (पी.एल.सी. के लिए)	0.77
V	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (74 प्रतिभागियों के लिए)	0.05
	सीबीएंडटी का उप-योग	**1.0872**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**7.1502**
3	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन**	
I	पंचायत भवन का निर्माण 18 पीबी (कैरी ओवर)	3.60
Ii	पंचायत भवन 116 पीबी का निर्माण (आगे बढ़ाया गया)	23.20
	पंचायत बुनियादी ढांचे के समर्थन का उप-योग	**26.80**
4	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
I	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी के लिए)	0.50
Ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख/डीपीआरसी/वर्ष) (4 डीपीआरसी के लिए)	0.80
	आवर्ती लागत की कुल लागत	**1.30**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (16डीपीएमयू)	1.632
Iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (74बीपीएमयू)	3.552
	पीएमयू की कुल संख्या	**5.448**
6	**ई-सक्षमता**	

I	कंप्यूटर की खरीद (151 नये और 194 कैरीओवर)	1.725
	ई-सक्षमीकरण की कुल संख्या	**1.725**
7	**नवाचारों के लिए परियोजना आधारित समर्थन (आगे ले जाना)**	
I	किफिरे जिले के सितिमी ब्लॉक के अंतर्गत यानजीटोंग गांव में सामुदायिक संसाधन केंद्र की स्थापना	**0.50**
Ii	फेक के किक्रुमा ब्लॉक के अंतर्गत थिपुजु गांव (चोकरीबा/रिहुबा) में ग्रामीण संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) की स्थापना ज़िला	**0.92**
	नवाचारों के लिए परियोजना आधारित समर्थन की कुल संख्या (कैरी) आगे)	**1.42**
	उप-योग (क्रम संख्या 1 से 7)	**43.84**
8	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	**0.87**
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.65
	कुल योजना का आकार	**45.37**

अनुबंध- V

त्रिपुरा राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
I	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रवेश प्रशिक्षण (6620 प्रतिभागी)	4.965
Ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (8533 प्रतिभागी)	1.003
Iii	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (25448 प्रतिभागी)	8.279
Iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (5313 प्रतिभागी)	0.822
V	कोइ अन्य प्रशिक्षण (8618 प्रतिभागी)	2.068
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**17.137**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I	प्रशिक्षण मॉड्यूल	0.10
Ii	प्रशिक्षण सामग्री	0.20
Iii	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (6678 प्रतिभागी)	7.012
Iv	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (500 प्रतिभागी)	1.75
V	जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (480 जीपी)	0.96
Vi	पंचायत लर्निंग सेंटर (8 पीएलसी)	0.56
Vii	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (72 एमटीएस)	0.09
Viii	नेतृत्व प्रबंधन विकास program' के लिए पंचायती राज संस्थाओं(एमडीपी) 100 प्रतिभागी @7811 5 दिनों के लिए	0.390
	अन्य गतिविधियों का उप-योग सीबीएंडटी	**11.062**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
I	डीपीआरसी भवन निर्माण का कार्य (2 सीओ)	1.168
3.1	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
I	एसपीआरसी के अतिरिक्त संकाय और संचालन एवं रखरखाव पर आवर्ती लागत	0.282
Ii	अतिरिक्त संकाय और डीपीआरसी के रखरखाव पर आवर्ती लागत (5 डीपीआरसी)	0.272
Iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना की किराये पर व्यवस्था (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण लागत का 1%)	0.0638
Iv	अतिरिक्त संकाय और बीपीआरसी के रखरखाव पर आवर्ती लागत (58 बीपीआरसी)	2.436
V	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना की किराये पर व्यवस्था (ब्लॉक स्तर पर कुल प्रशिक्षण की लागत का 1%)	0.079
	कुल लागत संस्थागत बुनियादी ढांचा	**4.30**
4	**पंचायत भवन के लिए** सहायता	

क्रम. सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि**
I	नये पंचायत भवन का निर्माण(1 नया)	0.20
Ii	पंचायत भवन का निर्माण (13 आगे बढ़ाया गया)	2.74
Iii	पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थान (24 कैरी ओवर)	1.20
	पंचायत भवन के लिए उप-योग समर्थन	**4.14**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइ (एसपीएमयू)	0.132
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइ (8 डीपीएमयू)	0.288
Iii	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (58 BPMU)	1.392
	पीएमयू की कुल संख्या	**1.812**
6	***ई-पंचायतों को सक्षम बनाना***	
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (475 **आगे बढ़ाना**)	2.375
Ii	स्मार्ट स्क्रीन (2 कैरी ओवर)	0.22
	ई-सक्षमता की कुल संख्या	**2.595**
7	**सैटकॉम या आईपी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा प्रौद्योगिकी आदि**	
I	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1.00 करोड़ रुपये तक)(नया)1 इकाई	1.00
Ii	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) (रु. 1.5 लाख प्रति एसआईटी) (कैरी ओवर) 6 इकाई @ 0.015 करोड़ प्रत्येक	0.09
	दूरस्थ शिक्षा सुविधा की कुल संख्या	**1.09**
8	**अभिनव परियोजना***(प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपये तक)*	
I	आरडी (पंचायत) विभाग के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) की स्थापना (कैरी ओवर)	0.20
	कुल अभिनव परियोजना	**0.20**
	1 से 8 तक का उप योग	**42.336**
9	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	0.847
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.635
	कुल योजना का आकार	**43.818**

अनुबंध- क

29 मई, 2024 को आयोजित संशोधित आरजीएसए की चौथी सीईसी बैठक के प्रतिभागियों की सूची

<u>पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर):</u>

क्रम सं.	**नाम**	**पद का नाम**
1.	श्री विवेक भारद्वाज	अध्यक्ष एवं सचिव
2.	श्री विकास आनंद	संयुक्त सचिव
3.	श्री राजेश कुमार सिंह	संयुक्त सचिव
4.	श्री रमित मौर्य	निदेशक
5.	श्री सोनू कुमार	अनुभाग अधिकारी

<u>लाइन मंत्रालय की सूची:</u>

क्रम सं.	**नाम**	**मंत्रालय/संगठन**
1	श्री अमित भारद्वाज, उप. सलाहकार	नीति आयोग
2	श्री बियासख रॉय चौधरी, सलाहकार	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

<u>राज्यों</u> <u>के प्रतिभागियों</u> **<u>की सूची:</u>**

क्र. सं.	**नाम**	**राज्य**
1.	सुश्री सोनल स्वरूप, सचिव	अरुणाचल प्रदेश सरकार
2.	श्री नबाम राजेश, उप निदेशक	
3.	श्री हाबुंगलापुंग, निदेशक, एसआईआरडी & पीआर	
4.	श्री नारायण साहू, उप निदेशक	
5.	श्री जमालुद्दीन, जिला शिक्षा अधिकारी	
6.	श्री जेबी एक्का, प्रमुख सचिव	असम सरकार
7.	श्री मुनीन्द्र शर्मा	
8.	श्री जय शिवानी, आयुक्त	
9.	श्री सी.वी. डिएंगदोह, आईएएस सचिव, जिला परिषद मामले विभाग	

10.	श्रीमती आर.एम. कुरबाह, आईएएस सचिव, सामुदायिक एवं ग्रामीण विकास विभाग	मेघालय सरकार
11.	श्री कुम. आई. डिएंगदोह, संयुक्त मिशन निदेशक, एसआरईएस	
12.	श्री जे. खार्सिन्टियू, प्रधान मंत्री, एसआरईएस	
13.	श्री केविया कैंसे, आयुक्त एवं सचिव	नागालैंड सरकार
14.	श्री जॉनी हम्त्सो, संयुक्त सचिव	
15.	सुश्री टी फांगपे, उप निदेशक	
16.	डॉ. अदीमी क्रिस्टो, उप निदेशक	
17.	श्री थुंगजालोथा, आरडीओ	
18.	डॉ. जुथसुथोफोजी, वरिष्ठ व्याख्याता, एसआईआरडी	
19.	डॉ. संदीप राठौड़, सचिव, पी एंड आर डी	त्रिपुरा सरकार
20.	श्री प्रसुन्न डे, निदेशक	
21.	श्री प्रीतम भट्टाचार्जी, पीआरडीओ	
22.	श्री सुभायन चक्रवर्ती, पीआरडीओ	